न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 98 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. खेतुदेवी पुत्री मूलाराम	**बनाम** 1.भूराराम पुत्र विरधाराम
2. रावताराम पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी भीमगढ़ प.ह. पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर(राज.)	2.मोहनलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भीमगढ़ प.ह. पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर(राज.) 3.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा गुड़ामालानी 4.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा गुड़ामालानी 5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 101 / 2017 बअनवान मोहनलाल बनाम खेतुदेवी वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रावताराम प्रजापत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व अपीलांट संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भीमगढ पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 662 रकबा 75.14 बीघा आई हुई है जिसमें खातेदार अपीलांट संख्या 01 के पिता मूलाराम का 1/2 हिस्सा व खातेदार अपीलांट संख्या 02 व उतरदाता संख्या 01 के पिता का 1/2 हिस्सा ाि और अपीलांट संख्या 02 व उतरदाता संख्या 01 की बहिन खेतुदेवी पुत्री विरधाराम ने उतरदाता संख्या 02 मोहनलाल को अपने हिस्से की जमीन बेच दी इसलिए खेतुदेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उतरदाता संख्या 02 मोहनलाल ने अधीनस्थ न्यायालय से घोषणा व बंटवाडा का दावा किया था जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट तलबी के लिये सम्मन भेजे गये जो सम्मन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

05 नियम 16 से 19 सी पी सी के तहत विधिवत तामील नहीं होने के उपरांत भी एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम हस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्राथमिक डिक्री की पेश की गई। उभयपक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मनों पर अपीलांट की पर्याप्त तामील प्रतिवेदित है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014(1) Page 397

RRT 2019(2) Page 835

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट संख्या 01 अनपढ, ग्रामीण महिला है तथा अपीलांट संख्या 02 भी अनपढ, ग्रामीण व्यक्ति है जिसे इतने दिनों तक उपरोक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं हुआ। दिनांक 25.10.2021 को उतरदाता संख्या 02 ने अपीलांटगण को धमकी दी कि मैने एकतरफा निर्णय करवा लिया है आपके जो करना है वो कर लो तब पटवारी हल्का से पूछा तो उन्होने बताया तब दिनांक 26.10.2021 को नकले मांगी जो नकले उसी दिन मिल गई तब एकतरफा निर्णय कर डिक्री पारित होने का ज्ञान हुआ, तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील में दिनांक 30.12.2021 को एक प्रार्थना–पत्र पेश कर अपील मीमो एवं सभी आवेदनों में भूलवंश टाईप मिस्टैक से दिनांक 08.07.2019 किया गया है जिसे संशोधित करने हेतु पेश किया गया जिसे न्यायहित में स्वीकार कर अपील मीमो एवं सभी आवेदनों में दिनांक 08.07.2019 के स्थान पर दिनांक 26.08.2019 पढ़े जाने हेतु आदेश पारित किये जाते है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.07.2019 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2017 बअनवान मोहनलाल बनाम खेतुदेवी वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2019 को अपास्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए वाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मौके पर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो इसलिए वाद के निस्तारण मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निस्तारण अधिकतम छह माह करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.08.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा प्रोलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर